भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3020

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

कोयला गैसीकरण पहल

3020. श्री राधेश्याम राठियाः

श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पैवेलियन में प्रदर्शित कोयला गैसीकरण पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पहल किस प्रकार विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अधिग्रहण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) उक्त प्रयासों से भारत की आयात निर्भरता किस प्रकार कम होने की संभावना है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कोयला गैसीकरण पहलें निम्नानुसार हैं:

(i) दिनांक 24 जनवरी, 2024 को सरकार ने सरकारी पीएसयू और निजी क्षेत्र दोनों के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 8,500 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदित कर दिया है।

(ii) सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाएं शुरू करने के लिए सीआईएल-भेल तथा सीआईएल-गेल के संयुक्त उद्यमों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा निवेश को भी अनुमोदित कर दिया है।

(iii) वर्ष 2022 में, इस पहल का समर्थन करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति के तहत एक नया उप-क्षेत्र, "कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस का उत्पादन" सृजित किया गया था। इसके अलावा, इस क्षेत्र के तहत सरकार ने आगामी सात वर्षों में शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए विनियमित क्षेत्र के अधिसूचित मूल्य पर न्यूनतम मूल्य के साथ नीलामी की अनुमति दी है।

(iv) वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों में गैसीकरण में प्रयुक्त कोयले के लिए राजस्व शेयर में 50% छूट दी गई है, बशर्ते कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए।

(ख) : कोयला देश में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी कोयले को सिनगैस (सिंथेटिक गैस) में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती है, जिसका उपयोग मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) और उर्वरकों आदि जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कोयले का वैकल्पिक उपयोग प्रदान करती है।

(ग) और (घ) : सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम का कोई विशिष्ट प्रभाव आकलन नहीं किया है।

(ङ) : कोयला मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसई कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने खान मंत्रालय द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के माध्यम से मध्य प्रदेश, भारत में खट्टाली छोटी ग्रेफाइट ब्लॉक प्राप्त किया है। इसके अलावा, सीआईएल ने अर्जेंटीना में लिथियम परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अर्जेंटीना की एक कंपनी तथा एक आस्ट्रेलियाई कंपनी के साथ गैर-प्रकटीकरण करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(च) : सरकार ने, *अन्य बातों के साथ-साथ,* भारत की आयात निर्भरता को कम करने और महत्वपूर्ण खनिजों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और खनन को बढ़ाने तथा उनकी आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है।
- सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सहित क्षेत्रों में सुसंगत दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की घोषणा की है।

*****